

राजस्थान सरकार

## न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 20 / 2024

प्रार्थी-

राजस्थान सरकार जरिये प्रवर्तन  
निरीक्षक, बालोतरा।

बनाम

अप्रार्थी-

श्री रामनिवास पुत्र श्री घमण्डाराम निवासी बायतु,  
जिला बालोतरा (मैसर्स बालाजी किराना एण्ड  
बर्तन भंडार पचपदरा, जिला बालोतरा)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :-

- अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
- श्री गणेश कुमार गोदारा, अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 01.04.2025

- प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि दिनांक 20.09.2024 को श्री रामावतार पूनिया एवं रविन्द्रसिंह प्रवर्तन निरीक्षक, बालोतरा, ने मौतबिरान के रूबरू अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान मैसर्स बालाजी किराना एण्ड बर्तन भंडार पचपदरा, जिला बालोतरा पर जांच करने पहुंचे, जहां मौके पर अप्रार्थी श्री रामनिवास उपस्थित मिले। मौके पर 3 व्यावसायिक सिलेण्डर, 5 किग्रा के 3 सिलेण्डर एक सिलेण्डर से दुसरे सिलेण्डर में गैस भरने का रेगुलेटर मय पाईप व बासुरी, रेगुलेटर बिना मानक वक्त जांच पाया गया। जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार दिया गया है-

क्र. सं.	गैस सिलेण्डर न.	गैस कम्पनी का नाम	सिलेण्डर का कुल वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर में भरी हुई गैस का वजन
1.	007576	Hp	38.4 किग्रा	19.04 किग्रा	19.00 किग्रा
2.	034331	Hp	24 किग्रा	19 किग्रा	5 किग्रा
3.		Hp	38 किग्रा	19. किग्रा	19 किग्रा
4.	003299	Hp	11.7 किग्रा	6.7 किग्रा	5 किग्रा
5.	011030	Hp	11.9 किग्रा	6.9 किग्रा	5 किग्रा
6.	003591	Hp	11.6 किग्रा	6.6 किग्रा	5 किग्रा

- मौके पर उक्त दुकान में पाये गये एक सिलेण्डर से दुसरे सिलेण्डर में गैस भरने का कार्य किया जा रहा था तथा गैस रिफिलिंग की सामग्री मौक पर जब्त सरकार किया गया। जब्तशुदा गैस सिलेण्डर को मैसर्स चौधरी एस पी गैस एजेन्सी बालोतरा के मैनेजर श्री किशनाराम को सुपुर्दनामा पर सुपुर्द किया गया। अप्रार्थी द्वारा उक्त सिलेण्डर के विक्रय एवं भंडार से संबंधित किसी भी प्रकार का आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करने हेतु, अनाधिकृत रूप से गैस रिफिलिंग का कार्य करने हेतु तथा घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु संग्रह कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के 1(सी), 4(ए) व 7(सी) का उल्लंघन किया गया

जिला कलक्टर  
बालोतरा

है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत उपरोक्त सीजशुदा व्यावसायिक गैस सिलेण्डर मय गैस तथा रिफिलिंग सामग्री को राजसात करने का आदेश फरमाया जावे।

3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये पंजिबद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया ।
4. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री गणेश कुमार गोदारा दौराने बहस कथन किया कि उक्त जब्तसुदा सिलेण्डर अप्रार्थी के जान पहचान वालों ने भरवाने हेतु उसकी दुकान पर रखे गये थे। उक्त सिलेण्डर का किसी प्रकार का बैचान नहीं किया जा रहा था तथा न ही रिफिलिंग का कार्य कर व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। दुकान के बाहर रखे हुए उक्त सिलेण्डर को अप्रार्थी द्वारा जब्त कर दिये गये है। अतः उक्त जब्तसुदा सिलेण्डर अप्रार्थी को पुनः वापस दिलाने का आदेश फरमावे।
5. हमने उभय पक्षकारान की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार ने प्रकट किया कि अप्रार्थी के व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर एक सिलेण्डर से दुसरे सिलेण्डर में गैस भरने का कार्य किया जा रहा था तथा सिलेण्डर का विक्रय किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा सिलेण्डर एवं रिफिलिंग सामग्री पाये जाने पर उक्त सिलेण्डर मौतबिरान के रूबरू सीज किये गये है, जो वर्तमान मे गैस कम्पनी के स्थानीय वितरक मैसर्स चौधरी एस पी गैस एजेन्सी बालोतरा के मैनेजर श्री किशानाराम को सुपुर्दगी पर दिये गये है। अप्रार्थी द्वारा व्यावसायिक सिलेण्डर से संबंधित किसी प्रकार का आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करना तथा रिफिलिंग का कार्य करना पाया गया। अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के 1(सी), 4(ए) व 7 के 1(सी) का उल्लंघन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। ऐसे मे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्रावधानों विपरित एवं धारा 7 के अधीन दण्डनीय कृत्य के फलस्वरूप सीजशुदा सामग्री उपरोक्त विवरण के व्यावसायिक गैस सिलेण्डर मय गैस तथा रिफिलिंग को राजसात किये जाने का समुचित आधार मौजूद है।
6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के कब्जे मे आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं तद्धीन बनाये गये द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के 1(सी), 4(ए) व 7 के 1(सी) का उल्लंघन मे पाये गये उपरोक्त घरेलु व व्यावसायिक गैस सिलेण्डर मय गैस तथा रिफिलिंग सामग्री को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी बालोतरा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त राजसात की गई एवं सुपुर्दगी पर दी गई सामग्री व्यावसायिक गैस सिलेण्डर मय द्रवीकृत गैस का निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष मे जमा कराने की कार्यवाही करें।
7. आदेश आज दिनांक 01.04.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुशील कुमार यादव)  
जिला कलेक्टर, बालोतरा